



प्रकरण सं. 40/2022 अन्तर्गत धारा 11/14 उप. अधि.
मेहरचन्द बनाम किशनचन्द
फर्द अहकाम

21.09.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई । प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 08.01.2002 को निर्णय पारित कर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 01.02.1981 को छुपाकर विवादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी किशनचन्द द्वारा करवाया गया है इसलिए चक 5 जेकेएम के मु. न. 194/378 के 25 बीघा का आवंटन निरस्त कर रकबाराज घोषित किया गया तथा कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिए गए। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निग./कोलो/320/2002 मांगीलाल वगैरह बनाम किशनचन्द व सरकार दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 29.05.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर कलक्टर महोदय का आदेश दिनांक 08.01.2002 को निरस्त कर दिया तथा आवंटन आदेश दिनांक 17.04.1990 बहाल रखने के आदेश दिए गए। उक्त निर्णय का विधिक परीक्षण उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्रांक आवंटन/16/63 दिनांक 14.01.2016 द्वारा विधि प्रकोष्ठ से करवाया गया। बाद विधिक परीक्षण जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक एफ-16(5) वि.प्र./2016/1914 दिनांक 17.05.2016 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 के विरुद्ध अपील योग्य पर्याप्त आधार न होने पर मूल अभिलेख उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को भिजवा दिया गया। इस प्रकार विधिक परीक्षण के उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 29.10.2015 अंतिम हो गया व आवंटन आदेश 17.04.1990 बहाल रह गया। हस्तगत शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा 17.04.1990 के आवंटन को निरस्त करवाने का निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण का उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय हो चुका है। प्रकरण में और कोई विधिक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिपेक्ष्य में हस्तगत शिकायत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित दर्शित कर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
जतिरिक्त जिला कलक्टर, अहकाम
कीमती नगर